संख्या 640/XVII-5/2020-09(26)/2014(TC)

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(v) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

(iv) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग — देहरादून : दिनांक 10 अगस्त, 2020

विषय : विभिन्न विभागों में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) से आउटसोर्स के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–771/XVII-5/16-09(26)/2014(TC), दिनांक 20 जुलाई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्सिंग व्यवस्था से नियोजित कार्मिक जिन्हें वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा अकारण हटा दिया गया है, यदि वे कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता, अकार्यकुशलता आदि के दोषी नहीं हैं तो उन्हें पद उपलब्ध होने एवं अन्य अर्हताओं को पूर्ण करने पर पुनः आउटसोर्सिंग द्वारा नियोजित करने हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी एवं वर्तमान परिस्थितियों/कार्यहित/जनहित/शासकीय हित में विभाग में यदि ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता है, तो उनके नियोजन की निरन्तरता बनाई रखी जा सकती है।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गए हैं कि कतिपय विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों को बिना समुचित कारण के हटाया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्थान जिन्होंने विभागीय कार्यहित/जनहित/शासकीय हित में उपनल के माध्यम से उनके द्वारा प्रायोजित कार्मिकों जिन्हें अकारण हटा दिया गया है, को उनके द्वारा पुनः आवेदन करने पर एक माह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुनः उपनल के माध्यम से प्रायोजित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी तथा तदनुसार नियोजित किये जाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभाग एवं

.......2.......

GO UPNAL 2016

संबंधित नियुक्ति अधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की होगी, किन्तु यह निर्देश कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता, अकार्यकुशलता आदि से संबंधित प्रकरणों पर लागू नहीं होंगे तथा किसी भी सक्षम न्यायालय/न्यायाधिकरण एवं आयोग आदि के आदेशों के अधीन होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 640 (1)/XVII-5/2020-09(26)/2014(TC) : तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री मत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।